आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–165 / 2022
रामचन्द्र सहनी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 4153 / 2020 में दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली के वाद संख्या–301 / 2018 में दिनांक–06.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक 04.07.2022 में अंकित है कि :– "Should such a revision petition be filed within a period of thirty days, the revisional authority shall takeup the revision petition and shall, after giving reasonable opportunity to the petitioner and eliciting his response, shall pass a final order within a futher period of sixty days thereafter." माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई एवं पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सविस्तार सुना गया। वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि दिनांक 19.10.2015 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में उपभोक्ताओं से मिल रही	

WEB COPY NOT OFFICIAL

शिकायत एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महनार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार द्वारा दिनांक 19.10.2015 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई एवं जाँच में निम्न अनियमितताएँ प्रतिवेदित की गई :–

(i) विक्रेता के दुकान में भंडार एंव मूल्य प्रदर्शन पट्ट संधारित नहीं पाया गया।

(ii) विक्रेता द्वारा उपस्थापित पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजना का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी अद्यतन संधारित नहीं पाया गया।

(iii) जाँच के समय विक्रेता के भंडार में चावल, गेहूँ एवं किरासन तेल का भंडार शुन्य पाया गया।

उक्त आरोप के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार ने विक्रेता के भंडार पंजी का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, महनार को समर्पित किया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल कार्यालय के पत्रांक 68 दिनांक 21.10.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित सभी बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, महनार ने अपने आदेश ज्ञापांक 142 दिनांक 14.12.2015 से उनके (पुनरीक्षणकर्ता) अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO. 18921/2016 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 08.02.2018 के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली ने पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश दिनांक 06.08.2019 से पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 4153/2020 दायर किया जिसमे दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश के आलोक में यह वाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार एक दबंग

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्थानीय माओवादी नेता तपेश्वर पासवान जन वितरण प्रणाली विक्रेता से लेवी के रूप में राशन/किरासन मांगते थे। लेवी नहीं देने पर उनके द्वारा वैमनस्यता से इनके विरूद्ध (पुनरीक्षणकर्ता) शिकायत की गई। जाँचकर्ता प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार ने दिनांक 19.10.2015 को उनके दुकान का औचक निरीक्षण आधे–अधुरे छोड़कर उसी नेता के यहां जाकर एवं उसके (तपेश्वर पासवान) कथनों के अनुसार ही प्रतिवेदन तैयार कर अनुज्ञापन पदाधिकारी को समर्पित कर दिया। आगे इनका (पुनरीक्षणकर्ता) कहना है कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। भंडार पंजी एवं वितरण पंजी में कोई अनियमितता नहीं है, इनका यह भी कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार के मौखिक आदेश पर अनाज का वितरण बिना वितरण पंजी का सत्यापन कराये हुए कर दिया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार ने सिर्फ एक गोदाम को देखा, जबकि बगल वाले गोदाम को नहीं देखा इसलिए भंडार शून्य मिला। अंत में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है। वादी स्वयं भी न्यायालय में उपस्थित थे एवं उनके विद्वान अधिवक्ता ने उनकी उम्र 80 वर्ष बताते हुए आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता की यदि उम्र अस्सी वर्ष है, जबकि अनुज्ञप्ति धारित करने की उम्र सीमा 65 वर्ष है तो वैसे भी अब अनुज्ञप्तिधारी के पात्र नहीं रह गये है। वैसे भी बिहार गजट (असाधारण), 20 फरवरी 2007 के नियम 09 के अनुसार अनुज्ञप्ति परिवार के किसी सदस्य/किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। कोई साझेदार भी नहीं रह सकता है। पुनरीक्षणकर्ता का दुकान से संबंधित पंजी अद्यतन नहीं था। मौखिक निदेश की बात हास्यास्पद है, नियमानुसार पंजी संधारित रखना, पंजी में प्रविष्टियां वितरण एवं भंडार में उपलब्ध खाद्यान्न/किरोसीन तेल की मात्रा में तारतम्यता रखना अनुज्ञप्तिधारी का परम कर्तव्य है। अतः दो

WEB COPY NOT OFFICIAL

जगह भंडार की बात मनगढ़ंत है, अनुज्ञप्ति प्राधिकार ने शिकायत पर जाँचोपरांत राशन कार्डों में प्रविष्टियों, लाभुकों के बयान, भंडार एवं वितरण पंजी में मिलान के बाद विसंगतियों के आलोक में उचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया है। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, वैशाली का आदेश विधिसम्मत है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की कार्रवाई की गयी है तथा निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता द्वारा अपील दायर किये जाने पर निम्न न्यायालय द्वारा अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता की अपील अस्वीकृत की गयी है, जिससे प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रथमद्रष्ट्या निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता निम्न न्यायालय के समक्ष सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर लगातार अनुपस्थित रहें एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपील वाद के निष्पादन के निदेश के बावजूद उनका अनुपस्थित रहना न केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है बल्कि उनके द्वारा निम्न न्यायालय को असहयोग भी किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तर्कपूर्ण बात नहीं रखा है जिससे कि निम्न न्यायालय के आदेश को गलत साबित किया जा सके। जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महनार ने सिर्फ एक गोदाम को देख जबकि बगल वाले गोदाम को नहीं देखा। इस संबंध में उल्लेखनीय है बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के दो जगह गोदाम रखना भी एक गंभीर आरोप है। भंडारण मात्र अनुज्ञप्ति स्थल पर

WEB COPY NOT OFFICIAL

	ही किया जा सकता है। यह सिर्फ आरोप से बचने का बहाना मात्र है। अनुज्ञप्ति पत्र में ही भंडारण स्थल एवं उसकी चौहद्दी अंकित रहती है। इस प्रकार भंडार एवं मूल्य प्रदर्शन पट्ट संधारित नहीं रखना, पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजना का भंडार एवं वितरण पंजी अद्यतन नहीं रखना एवं चावल, गेहूँ, किरासन तेल आदि का भंडार शून्य पाया जाना गंभीर आरोप है तथा पुनरीक्षणकर्ता का यह कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के नियम 5 (ii), (iii), 12 (1) एवं 17 (ii) के प्रतिकूल है। उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL